SHRI ABRAR AHMAD: I will look into it.

* 3 The Question (Dr. Sanjay Sinh) was absent. For answer vide Cols. infra)

राष्ट्रीयकृत बैंकों की घाटे में चल रही शाखायें

*4. **श्री राम रतन राम:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखायें घाटे में चल रही हैं;

(ख) क्या सरकार इन शाखाओं को बन्द करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इससे इन शाखाओं के कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे; और

(घ) क्या सरकार इन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने या उन्हें अन्य बैंकों में खपाने का विचार रखती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र की गयी सूचना के अनुसार 31.3.93 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की घाटे में चल रही शाखाओं की संख्या 10,062 है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि बैंकों की कुछ ऐसी शाखाएं भी हैं जो लम्बे अर्से से घाटे में चल रही हैं और सभी प्रयासों के बावजूद उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार की कोई सम्भावना नहीं है। इसलिये भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को कहा है कि इनमें से कुछ शाखाओं को या तो "वसूली" शाखाओं में परिवर्तित कर दिया जाए या उन्हें बन्द कर दिया जाए। बन्द की जाने वाली शाखाओं की संख्या लगभग 100 होगी।

(ग) और (घ) इन शाखाओं के कर्मचारियों की संख्या के बारे में तत्काल जानकारी प्राप्त नहीं है। तथापि, किसी भी कर्मचारी की छंटनी किए जाने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि ऐसे स्टाफ को आंतरिक लेखा-परीक्षा और वसूली कार्यों जैसी उत्पादक गतिविधियों में फिर से लगाया जाएगा।

श्री राम रतन राम: मंत्री महोदय ने जो अभी नेशनलाइज्ड बैंक की शाखाओं के घाटे में रहने की बात की है 10,062 है। इन्होंने बताया है कि 10,062 शाखाएं घाटे में चल रही है जिनमें से 100 बंद की जाने वाली है। मैं जानना चाहता हूं कि उनके घाटे में चलने के कारण क्या है यह स्पष्ट किया जाए और 1993-94 में कितने बैंक बंद होने जा रहे हैं, कितनी ब्रांचेज बंद होने जा रही है इसकी सूचना दी जाए?

डा० अबरार अहमद: मैडम मैंने माननीय सदस्य को मूल प्रा के उत्तर में राष्ट्रीयकृत बैंक की जो शाखाएं घाटे में चल रही हैं और जो 31 मार्च, 1993 के अनुसार हैं वह 10,062 बताई है। उनमें लगभग आर बी आई ने 102 शाखाएं बंद करने की सिफारिश की है। ये 102 वे शाखाएं हैं जो गत पांच वर्ष से लगातार घाटे में चल रही है लेकिन यह भी माननीय सदस्य को स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि इन शाखाओं के बंद करने में आर बी आई ने साथ ही यह डायरेक्शन भी दी है कि कहीं भी रुरल बैंक के अलावा नेशनलाइज्ड बैंक की अगर एक ही शाखा किसी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है उसको बंद नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही साथ कहीं अगर दो या दो से ज्यादा शाखाएं हैं वे घाटे में चल रही हैं उन दोनों को आपस में तालमेल करके एक ही शाखा को बंद किया जायेगा, दोनों शाखाओं को बंद नहीं किया जायेगा जिससे जो सर्विस रेंडर और लोगों की सुविधा की बात है उसको ध्यान में रखा जा सके।

जहां तक माननीय सदस्य ने ब्रांचेज के घाटे में चलने के बारे में पूछा है उसके काफी कारण है। लेकिन जो छोटी शाखाएं हैं जो खासतौर से घाटे में चल रही है इनमें आवरहैड का अधिक होना, खर्चे का ज्यादा होना, डिपोजिट्स का कम होना, रिकवरी का ठीक न होना, इसके प्रकार के कई कारण हैं जिसकी वजह से घाटे में चल रहे हैं। अभी बंद करने का निर्णय केवल दो शाखाओं का लिया है और बाकी 10,062 शाखाएं जो हैं उनके लिए प्रयास यह किया जा रहा है कि ये शाखाएं किसी प्रकार से प्रोफिट में आयें। बैंकिंग सेक्टर में रिफार्म किये गये हैं वह भी इसके अंदर मददगार हों यह हम चाहते हैं जिससे उन शाखाओं को बंद न करना पड़े।

श्री राम रतन राम: आवरहैड एक्सपेंडीचर की जो बात कही जा रही है जिस वक्त बैंक नेशनलाइज्ड किये गये थे और एल आई सी नेशनलाइज्ड की गई थी उस समय एल आई सी की केवल चार शाखाएं रखी गई थीं जबकि इंडिविजुअल बैंक नेशनलाइज्ड किये गये जिसकी वजह से आवरहैड एक्सपेंडीचर बहुत बढ़ गया अकेले

लखनऊ में 70 हैड आफ डिपारमेंट्स हैं जिनके एस्टाबलिशमेंट खर्चे बिना वजह बढ़े हुए हैं। क्या सरकार इन बैंकों के पुनर्गठन पर विचार कर रही है जिससे उसके आवरहैड एक्सपेंडीचर कम हो सके?

डा० अबरार अहमद: मैडम, यह तो मैंने अभी कहा है कि जो भी शाखाएं घाटे में चल रही है। उनके खर्चे कम करने के बारे में ओवरहेड्ज़ कम करने के बारे में निर्देश दिये गये हैं। इसके इलावा सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को जब 5700 करोड़ रुपये की मदद दी गई उस टाइम एक मेमोरेंडम आफ अंडरस्टेंडिंग साइन कराया गया और उसके अन्दर यह बात रखी गई है और जो जो घाटे के कारण है उनको दुरुस्त करने के बारे में कंट्रेक्ट किया गया है। उस दिशा में सरकार पूरी तरह से चिंतित है और आवश्यक कदम उठा रही है

श्री राम रतन राम: महोदय, 1993-94 में करीब... **(व्यवधान)**

उपसभापति आपके दो सप्लीमेंटरी क्वेश्चन हो चुके हैं।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam Deputy Chairman, the Reserve Bank of India has made a study and found that more than 10,000 branches are loss-making. But there is a background. Out of 28 banks, 18 banks are in the red. If you make a survey bank-wise, the majority of the banks are in the red. In this background, I would only request the Government to let us know as to how specific branches should be identified as loss-making branches. They are a part of the total system. The United Commercial Bank is running a number of branches. A particular branch may be loss-making but the bank as a whole may be profit-making. While taking a decision on the closing down of banks, is the Minister taking a decision based on the performance of a branch or is he taking into consideration the performance of the bank as a whole? This is part (a) of my supplementary.

Part (b) of my supplementary is that banks were nationalised to mop up savings and also to help the rural peasantry. The National Commission for Rural Labour has come to the conclusion that even today 70 per cent of rural credit is being met by moneylenders which means that the common people living in the countryside do not get the help of the branches of the banks. In such a situation, I would like to know whether the decision of the Government to close down the units shall be done taking into consideration the need of the rural population or whether they would take a decision only on the basis of performance.

डा० अबरार अहमद: उपसभापति महोदया, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा कि जो शाखाएं घाटे में चल रही हैं, उनका निर्णय शाखा के आधार पर लिया जाता है या घाटे में चलने वाले बैंक के आधार पर लिया जाता है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि कौन सी शाखा घाटे में चल रही है, इसका निर्णय शाखा के आधार पर लिया जाता है। इस संदर्भ मे मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बहुत सी शाखाएं सिर्फ डिपाज़िट मेकर्स ब्रांचेज़ होती हैं, जो सिर्फ डिपाज़िट लेती हैं। वह घाटे में चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, इसके लिए 8 प्रतिशत क्रेडिट डिपाज़िट पर देने के बाद यह देखा जाता है कि वह शाखा घाटे में चल रही है या नहीं चल रही है। इसी तरह से बहुत सी शाखाएं सिर्फ लोनिंग के लिए होती है, एडवांसेज़ के लिए होती है, उनमें भी इसी प्रकार से 11 प्रतिशत डिस्काउंट काटने के बाद यह देखा जाता है कि वह घाटे में चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। शाखा के आधार पर उनका नफ़ा-नुक्सान देखा जाता है और निर्णय लिया जाता है। जिन 102 शाखाओं को आइडेंटीफाई किया है, यह लम्बे समय से घाटे में चल रही हैं अथवा यह कह सकते हैं कि यह लाइलाज है। इनके बारे में सभी प्रकार से विचार करने के बाद जो लाइलाज शाखाएं हैं उनको बन्द करने के बारे में निर्णय लिया जा रहा है। जो दूसरा सप्लीमेंटरी आपने ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पूछा है, मैंने इससे पहले भी यह कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा और सरकार द्वारा पहले से ध्यान रखा जा रहा है। कहीं राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसको बन्द नहीं किया जा रहा है यदि कहीं दो शाखाएं है और दोनों घाटे में चल रही हैं तो आपस में तालमेल कर के एक शाखा को रखा जाएगा और दूसरी को बन्द किया जाएगा। इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है।

उपसभापति: डा० शिवाजी, आपको क्वेश्चन पूछना है क्या? otherwise, we can go to the fifth question.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Madam Deputy Chairman, the Minister was mentioning about converting some of the branches into recovery branches and I believe that they are in the rural area. According to the existing guidelines of the Reserve Bank of India, dated the 9th March, 1984, there is a stipulation as far as term loans for the agriculture sector are concerned. The interest component should not exceed the principal component. But, at the same time, all the banks, right, left and middle, are collecting more interest than the principal amount in respect of sticky loans. So, what are the views of the Government? What instructions have been issued by the Government to various banks to implement the guidelines of the Reserve Bank of India which were issued as long back as a decade?

डा० अबरार अहमद: महोदय, माननीय सदस्य ने यह बिल्कुल सही पूछा है। कुछ ब्रांचों को रिकवरी ब्रांच में परिवर्तित करने के बारे में भी निर्देश है। कुल 209 ब्रांचें ऐसी आइडेंटीफाई की गयी है और उन 209 ब्रांचों में से 102 ब्रांचें बंद करने के बारे में निर्णय है और बाकी 107 ब्रांचों को रिकवरी ब्रांच करने के बारे में निर्णय है।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: He has not answered my question. He is talking something else.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 5. (*Interruptions*). Question No. 5

Expenditure Incurred on International Film Festival of India

*5. SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE:

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) what is the total amount spent by Government on the International Film Festival of India (IFFI) recently organised at Calcutta;

(b) how much money was spent on this festival by the Government of West Bengal;

(c) whether it is a fact that there were differences between the Union Government and West Bengal Government in regard to the Chief Guest at the Festival;

(d) how was this issue finally sorted out; and

(e) what is the criterion adopted by Government for selecting the Chief Guest for IFFI?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K.P. SINGH DEO): (a) The Union Government had sanctioned an expenditure of Rs. 115 lakhs for 25th International Film Festival of India (IFFI) held at Calcutta from 10—20 January, 1994. Till 18.2.94 bills for a sum of Rs. 70.91 lakhs have been received and settled.

(b) It is understood that the Government of West Bengal which provided infrastructural facilities for organising the festival incurred an expenditure Rs. 187.50 lakhs (approximately).

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

(e) The Chief Guest for IFFI is traditionally nominated by the Film Federation of India, an apex body of

*The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Bishambar Nath Pande.